रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 1977/आषाढ़ 17, 1899

No. 238] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 1977/ASADHA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 8th July 1977

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following order to amend the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called Kandla Port Pilotage (Fees) Amendment Order, 1977.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975, for sub-clause (1) of clause 6, the following shall be substituted, namely :—

"(1) If a tug is used for attendance on, or pulling or pushing of, a vessel in the harbour for berthing, unberthing or shifting of the vessel to be piloted, a fee of Rs. 2,500/- per coastal vessel and a fee of Rs. 4,000/- per foreign vessel per tug shall be levied in addition to the pilotage fees or shifting charges. No such special fees shall be levied when the tug is utilised for shifting of vessels to suit the convenience of the Port."

[No. PGR-29/77]

V. R. MEHTA, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम काण्डला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) संशोधन आदेश, 1977 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. काण्डला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1975 में, खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यदि कोई कर्णनाव (टग) ऐसे जलयान के, जिसे पायलट किया जाना है, बर्थ लगाने या बर्थ हटाने या शिफ्टिंग के लिए बन्दरगाह में किसी जलयान के काम के लिए, या उसे खींचने या ढकेलने के लिए, उपयोग में लाई जाती है तो प्रति कर्णनाव प्रति तटवर्ती जलयान की 2500 रुपए फीस और प्रति विदेशी जलयान की 4000 रुपए फीस, मार्गदर्शन (पायलटेज) फीस या शिफ्टिंग प्रभारों के अतिरिक्त, उद्गृहीत की जाएगी। उस स्थिति में ऐसी कोई फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी जब कर्णनाव का प्रयोग पत्तन की सुविधा को देखते हुए जलयानों की शिफ्टिंग के लिए किया जाए।"

[सं० पी जी आर–29/77]

वी० आर० मेहता, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977